

भारत सरकार

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

का कार्यालय

आद्यप्रदेश व तेलंगाना,

सी ब्लाक, नवी तल, आयकर शिखर

१०-२-३, ऐ सी गार्ड्स, हैदराबाद-५०० ००४



GOVERNMENT OF INDIA

Income Tax Officer (H.Qrs)(Tech)/CPIO;

Office of the

Pr. Chief Commissioner of Income Tax.

Andhra

Pradesh & Telangana,

'C' Block, 9th Floor, IT Towers,

10-2-3, A.C.Guards, Hyderabad-500 004.

Tel.No.040-23425677/ FAX :040-23240412

सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बंधित / समय निवंधित

दिनांक: 08.03.2021

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 7(1) अंतर्गत कायंवाही

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत आवेदित - Regarding

सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत आवेदित - Regarding

ने सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत, आवेदन किया जो इस कायंवाही में दिनांक 03.03.2021 को प्राप्त हुआ। आवेदनकारी द्वारा मांगी गयी सूचना निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है।

क्रमांक	मांगी गयी सूचना	उत्तर
1.	क्या सरकारीस्वास्थ्य संस्थान के / कर्मचारी जो NPS गोशन योजना में अपने मूल वेतन एवं भविष्यात् भवता का 10% योगदान टायर 1 खाते में करते हैं, उपरोक्त NPS योगदान आयकर कटौती छूट प्राप्त करने के लिए आयकर धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत रखा जा सकता है अथवा नहींइस संदर्भ में सम्बंधित नियम सम्बंधित विवरण विस्तार से लिखित में पढ़ाने करें।	ही इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD की उपचारा (1B) इस प्रकार है: जहाँ उपचारा (1) में निर्दिष्ट किसी नियमानुसूची की (यहाँ उपचारा (1) के अधिक कोई कटौती अनुज्ञात की गई ही मुख्या नहीं), परन्तु में उसी किसी विशेष स्थिर के अधिक, जो केवल सरकार द्वारा आयकरायकी गई ही या आयकरित की जाए, कोई रकम भावें खाते में सद्वत या निवारित है, वहा उसे पूरी रकम की कटौती, जो एवं इसका इतर जो आयकर नहीं होती, उसकी कुल भाव की समाप्ति करने में अनुज्ञा की जाएगी। परन्तु यही रकम के स्वाय में इस उपचारा के मानव कठौती कटौती अनुज्ञात नहीं की विशेष विधि पर कठौती का यात्रा विधि नहीं है और उपचारा (1) के अधिक अनुज्ञात विधि नहीं है।
2.	क्या सरकारीस्वास्थ्य संस्थान के / कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से किये गए NPS अंशदान जो 80C एवं 80CCD(1B) में विभाजित नहीं होता विशेष विधि पर कठौती की जा सकती है?	NPS के अंतर्गत की गयी विधि पर रु 1.5 लाख तक आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) द्वारा इसके अंतरिक्ष रु 50 100 तक वाले 80CCD(1B) के अंतर्गत छूट प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि धारा 80C 80CCD(1) एवं 80CCD(1B) के अंतर्गत कुल छूट रु 2 लाख तक ही प्राप्त की जा सकती है।

3.

क्या सरकारीस्वशासी संस्थान के / कर्मचारी जो NPS पेशन योजना में अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं उन्हें आयकर धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत 50,000 अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए टायर 1 खाते में अतिरिक्त 50000 का निवेश करना होगा या उसकी 10% NPS कटौती उपरोक्त के अंतर्गत मान्य होगी। उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट नियम लिखित में प्रदान करें।

धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत ₹ 50,000 की अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं है। अधिक स्पष्टता के लिए उत्तर सख्ता 1 एवं 2 देखें।

तटनुसार, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, श्री अनुराग सिंह द्वारा किये गये आवेदन का निम्नांकण किया जाता है। यद्यपि संलोषजनक उत्तर प्राप्त ना होने की स्थिति में आवेदनकर्ता अपर आयकर आयुक्त (मुख्या०)(तक०), कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, हैदराबाद (आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (मुख्या०)(तक०), 9वां तल, B ब्लॉक, आयकर शिखर, ए० सी० गाइस, हैदराबाद - 500004 के समक्ष इस अपीलीय प्राप्तिकारी), 9वां तल, B ब्लॉक, आयकर शिखर, ए० सी० गाइस, हैदराबाद - 500004 के समक्ष इस उत्तर की पाप्ति के 30 दिनों के अंदर अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

(आर० जगन मोहन राव)

आयकर अधिकारीमुख्या०)(तक०) एवं ल००ज०स०अ०, कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, आ०प० एवं तेलगाना, हैदराबाद.

To: श्री अनुराग सिंह, JPB अपार्टमेंट, फ्लॉर स.३०२, ३० सुखा राव कालानी, लिंगापुर, हैदराबाद -
५०००२८.